डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र. बि. पू. भु.-भोपाल-02-06.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल 2006—चैत्र 17, शक 1928

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2006

क्र. एफ. 9-01-2002-नियम-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 42 में,—

(एक) शीर्षक में अंक तथा शब्द ''15/20 वर्ष'' के स्थान पर अंक तथा शब्द ''20/25 वर्ष'' स्थापित किए जाएं.

(दो) उप नियम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(1) (क) सरकारी सेवक 20 वर्ष की अर्हता सेवा पूर्ण करने के पश्चात् किसी भी समय, नियुक्ति प्राधिकारी को प्ररूप 28 में उस तारीख से, जिसको कि वह सेवा निवृत्त होना चाहता है, कम से कम एक माह पूर्व सूचना (नोटिस) देकर या उसके द्वारा एक माह की कालावधि के लिए या उस कालावधि के लिए जिसके लिए उसके द्वारा वास्तविक रूप से दी गई सूचना एक माह से कम होती हो, वेतन तथा भत्तों का उसके द्वारा भुगतान करने पर, सेवानिवृत्त हो सकेगा:

परन्तु यह उप नियम निम्नलिखित विभागों के प्रत्येक के

सामने कोष्ठकों में वर्णित सरकारी सेवकों को लागू नहीं होगा, जब तक कि उन्होंने 25 वर्ष की अर्हता सेवा पूर्ण न कर ली हो:—

(क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (चिकित्सा, सह-चिकित्सा (पैरा मेडिकल) और तकनीकी स्टाफ);

(ख) चिकित्सा शिक्षा विभाग (अध्यापन स्टाफ, सह-चिकित्सा (पैरा मेडिकल) और तकनीकी स्टाफ);

परन्तु यह और कि ऐसा सरकारी सेवक, नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जावेगा:—

(एक) जहां सरकारी सेवक निलंबन के अधीन हो;

(दो) जहां सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई संस्थित करना नियुक्ति प्राधिकारी के विचाराधीन हो:

परन्तु यह भी कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी ने सरकारी सेवक द्वारा दी गयी सूचना की तारीख से छह मास के भीतर द्वितीय परन्तुक के खण्ड (दो) के अधीन कोई विनिश्चिय, ऐसी अनुशासनिक कार्यवाई के संबंध में नहीं किया है तो यह समझा जाएगा कि नियुक्ति प्राधिकारी ने ऐसे सरकारी सेवक को छह माह की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् की तारीख को सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात कर दिया है.''

(तीन) उप नियम (1) के खण्ड (ख) की टिप्पणी-1 में अंक शब्द ''15 या 20 वर्ष'' के स्थान पर अंक तथा शब्द ''20 या 25 वर्ष'' स्थापित किए जाएं.

2. नियम 42-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''42-क. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अर्हता सेवा को जोड़ना:

(1) अनुज्ञा सहित या अनुज्ञा के बिना, नियम 42 (1) (क) के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक की आशयित सेवानिवृत्ति की तारीख पर जो अर्हता सेवा हो, उसमें ऐसी कालावधि की, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं हो, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए वृद्धि की जाएगी कि सरकारी सेवक द्वारा की गयी कुल अर्हता सेवा किसी भी मामले में तैंतीस वर्ष से अधिक नहीं हो और जो अधिवार्षिकी की तारीख से परे नहीं हो.

(2) उप नियम (1) के अधीन उसकी अर्हता सेवा में वृद्धि, जो पांच वर्ष से अधिक की नहीं होगी, उसे पेंशन तथा उपादान (ग्रेच्युटी) की गणना के प्रयोजनों के लिए वेतन के नोशनल निर्धारण का हकदार नहीं बनाएगी.

(3) यह नियम ऐसे सरकारी सेवक को लागू नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार में, किसी स्वशासी निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम में, जहां वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने के समय प्रतिनियुक्ति पर है, स्थायी रूप से आमेलित होने के लिए सरकारी सेवा से निवृत्त होता है.

(4) उप नियम (1) के अधीन पांच वर्ष का अधिमान उन सरकारी सेवकों के मामलों में अनुज्ञेय नहीं होगा, जो नियम 42 (1) (ख) या एफ. आर. 56 (2) के अधीन सरकार द्वारा लोकहित में समय पूर्व सेवानिवृत्त किए गए हों''.

3. ''प्ररूप 28'' में, अंक तथा शब्द ''15 या 20 वर्ष,'' जहां कहीं भी वे आये हों, वहां उनके स्थान पर, अंक तथा शब्द ''20 या 25 वर्ष'' स्थापित किया जाएं.

4. यह संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 5th April 2006

No. F-9-01-2002-Rule-IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules, 1976 nemely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 42—

(i) in the heading, for figures and word "15/20 years," the figures and word "20/25 years" shall be substituted.

(ii) for clause (a) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:—

"(1) (a) Government servant may retire at any time after completing 20 years qualifying service, by giving a notice in form 28 to the appointing authority at least one month before the date on which he wishes to retire or on payment by him of pay and allowances for the period of one month or for the period by which the notice actually given by him falls short of one month:

Provided that this sub-rule shall not apply to the Government Servants mentioned in brackets against each of the following Departments, until they have not completed 25 years qualifying service :—

(a) Public Health & Family Welfare Department (Medical, Paramedical & Technical staff);

(b) Medical Education Department (Teaching Staff, Paramedical & Technical Staff):

Provided further that such Government servant shall not be allowed to retire from service without prior permission in writing of the appointing authority under the following circumstances:—

(i) Where the Government servant is under suspension;

(ii) Where it is under consideration of the appointing authority to institute disciplinary action against the Government Servant:

Provided also that if the appointing authority has not taken the decision under clause (ii) of the second proviso, within six months from the date of notice given by the Government Servant with regard to such disciplinary action it shall be deemed that the appointing authority has allowed to such Government Servant to retire from service on the date after expiry of the period of six months.".

(iii) in "Note 1" to clause (b) of sub-rule (1), for the figures and words "15 or 20 years" the figures and words "20 or 25 years" shall be substituted.

2. For Rule 42-A, the following rule shall be substituted, namely:—

"42-A. Addition to qualifying service on voluntary retirement.

(1) The qualifying service as on the date of intended retirement of the Government Servant retiring under Rule 42(1) (a) with or without permission, shall be increased by a period not exceeding five years, subject to the condition that the total qualifying service rendered by the Government Servant does not in any case exceed thirty three years and it does not take him beyond that date of superannuation.

(2) The increase not exceeding five years in his qualifying service under sub-rule (1) shall not entitle him to notional fixation of pay for purposes of calculation of pension and gratuity.

(3) This rule shall not apply to a Government Servant who retires from Government Service for being absorbed permanently in Central Government, in an autonomous body or Public Sector Undertaking, to which he is on deputation at the time of seeking voluntary retirement.

(4) The weightage of five years under sub-rule (1) shall not be admissible in cases of those Government Servants who are prematurely retired by the Government in the public interest under Rule 42 (1) (b) or FR 56 (2)".

3. In "form 28" for the figures and word "15/20 years," wherever they occur, the figures and word "20/25 years" shall be substituted.

4. This amendment shall come into force from the date of publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. P. SHRIVASTAVA, Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.